HIGH COURT OF JUDICATURE CHHATTISGARH : BILASPUR

DIVISION BENCH

CORAM : HON'BLE SHRI S.R. NAYAK, CJ.
HON'BLE SHRI D.R. DESHMUKH, J.

W.P. No. 1072 OF 2006

Petitioner — **MOHAMMED SIDDIQUE**
Aged about 32 years, S/o. Mohd. Ismail, R/o. Chuchuyah, P.S. Torwa, Bilaspur (C.G.)

Versus

RESPONDENTS

1. **STATE OF CHHATTISGARH**
Through : Chief Secretary
Home Department Govt. of Chhattisgarh Secretariat D.K.S. Bhawan Raipur (C.G.)

2. **ADDITIONAL CHIEF SECRETARY**
Home (C) Department, Government of Chhattisgarh, Secretariat D.K.S. Bhawan, G.E. Road, Raipur (C.G.)

3. **DISTRICT MAGISTRATE**
Bilaspur (C.G.)

4. **SENIOR SUPERINTENDENT OF POLICE**
Bilaspur (C.G.)

Present : Shri V.G. Tamaskar, learned counsel for the petitioner.
Shri Utkarsh Verma, learned Dy. G.A. for the State.

ORAL ORDER
(Passed on 26th June, 2006)

The following oral order of the Court was passed by

S.R. Nayak, CJ.

In this writ petition the order dated 06-08-2005 (Annexure P-59) of the District Magistrate, Bilaspur, the 3rd respondent herein, passed under Section 6(C) of the C.G. Rajya Suraksha Adhiniyam, 1990 (for short "the Adhiniyam") externing the petitioner from the Districts of Bilaspur, Korba,

Janjgir Champa, Kabirdham, Raipur, Durg and Korea, for a period of one year, has been assailed. The impugned order was preceded by issuance of a show-cause notice dated 04-06-2005 to the petitioner, marked as Annexure P/1, which reads as follows:-

"न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर

प्रकरण कमांक–11/2005

कमांक/रीडर–जि.द./2005/ बिलासपुर दिनांक 04 जून 2005

प्रति,

मोहम्मद सिद्धिक
आत्मज मोहम्मद इस्माईल,
निवासी–चुचुहियापारा,
थाना–तोरवा, जिला बिलासपुर (छ0ग0)

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर ने मुझे यह प्रतिवेदित किया है कि आपके विरूद्ध थाना तोरवा में विभिन्न आपराधिक प्रकरण दर्ज है। आप वर्ष 2000 से लगातार चुचुहियापारा तथा बुधवारी बाजार क्षेत्र मे जुआ सट्टा मे लिप्त रहकर समाज के लोगों को भी इसमें लिप्त रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आपके सट्टा जुआ में संलिप्त रहने के कारण क्षेत्र में सामाजिक अपराध एवं आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है एवं लोग सट्टे के शिकार होते जा रहे है। आप पुलिस द्वारा सट्टा पट्टी लिखते रंगे हॉथों कई बार पकड़े गए है एवं आपके विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किये जाकर न्यायालय में प्रस्तुत भी किये गये है एवं माननीय न्यायालय से आपको दण्डित भी किया गया है, किन्तु उसके उपरांत भी आप स्थान बदल–बदल कर इस आपराधिक कृत्य में संलग्न रहते हैं एवं आज जन को सट्टा खेलने के लिए विवश करते हैं। आपसे विरूद्ध सुधार हेतु प्रतिबंधात्मक धारा के अधीन भी कार्यवाही की गई है, किन्तु इसका भी आप पर कोई असर नही हुआ है एवं आपके आचरण में आप कोई सुधार

प्रतिलिपि–ज्ञापन न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर (छ0ग0)
दा0प्र0क्र0–11/2005 पक्षकार–शासन वि0 मो0 सिद्धिक, चुचुहियापारा, तोरवा।

नहीं लाए हैं। आपके विरूद्ध थाने में दर्ज अपराधों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

1. दिनांक 10.02.2000 को पुलिस द्वारा आपको जुआ खेलाते पाया गया एवं आपके कब्जे से नगद राशि एवं सट्टा पट्टी जप्त कर आपके विरूद्ध अप0 क्र0 49/2000 धारा-4(क) जुआ एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया, जिसमें आपको अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
2. दिनांक 07.04.2000 को आपको सट्टा खेलाते पाये जाने पर आपके विरूद्ध अप0 क्र0 118/2000 धारा-4(क) जुआ एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं रूपये 3204/-नगद राशि एवं सट्टा पट्टी आपसे जप्त कर, चालान न्यायालय में पेश किया गया।
3. दिनांक 31.05.2000 को आपसे सट्टा पट्टी एवं नगद राशि पुलिस द्वारा जप्त कर अप0 क्र0 169/2000 धारा-4(क) जुआ एक्ट पंजीबद्ध किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया। इस प्रकरण में आप अर्थदण्ड से दण्डित किये गये।
4. दिनांक 08.05.2000 को पुलिस द्वारा आपके कब्जे से रूपये 4005/-नगद राशि, सट्टा पट्टी एवं एक टेलीफोन जप्त कर आपके विरूद्ध अप0 क्र0 99/2001 धारा-4(क) जुआ एक्ट पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में पेश किया गया, जिसमें आपको अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
5. दिनांक 29.04.2004 को आपके कब्जे से पुनः नगद राशि एवं सट्टा पट्टी जप्त कर पुलिस आपके विरूद्ध अप0 क्र0 117/04 धारा-4(क) जुआ एक्ट पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया।
6. पुलिस द्वारा दिनांक 07.12.2004 को पुनः आपसे सट्टा पट्टी एवं नगद राशि जप्त कर आपके विरूद्ध अप0 क्र0 355/2004

धारा–4(क) जुआ एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया। इस प्रकरण में भी आपको अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

7. आपके लगातार आपराधिक गतिविधियों मे संलग्न रहने के कारण, शांति भंग होने की आशंका पर आपके विरूद्ध धारा–151, 107, 116 (3) जा0फौ0 पंजीबद्ध किया जाकर इस्तगासा कमांक 24/30, 2001 न्यायालय में पेश किया गया।

8. दिनांक 09.03.2001 को पुनः शांति भंग होने की आशंका पर पुलिस द्वारा, आपको प्रतिबंधित करने के लिए धारा–151, 107, 116(3) जा0फौ0 के अंतर्गत इस्त0 क0 40/30, 2001 न्यायालय में पेश किया गया।

9. आपके द्वारा लगातार अपराध घटित करने के कारण आपको प्रतिबंधित करने हेतु पुलिस द्वारा आपके विरूद्ध इस्त0क0 11/01 धारा–110 जा0फौ0 के अंतर्गत कार्यवाही कर न्यायालय में पेश किया गया।

10. दिनांक 24.04.2002 को पुलिस द्वारा आपके विरूद्ध पुनः धारा–110 जा0फौ0 के अंतर्गत इस्त0क0 15/2002 पंजीबद्ध कर सक्षम न्यायालय में पेश किया गया।

इस प्रकार आप सट्टा खेलाने के अपराध में निरंतर संलग्न हैं। आपको न्यायालय से दण्डित किये जाने के उपरांत भी आपकी आपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आया है, तथा आपके सट्टा खेलाने के कृत्य में संलग्न रहने के कारण आम जन के अमन चैन में खलल उत्पन्न हो रहा है। आपके आपराधिक कृत्यों के कारण छोटे–छोटे स्कूली बच्चे एवं आम जन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है एवं क्षेत्रीय, पारिवारिक तथा सामाजिक परिपेश जन सामान्य का दुखित भी हो रहा है। आपके आचरण में सुधार लाने हेतु पुलिस

द्वारा आपके विरूद्ध कानूनी कार्यवाहियां एवं प्रतिबंधात्मक धाराओं के अंतर्गत कार्यवाहियां की भी गई है किन्तु उसके उपरांत भी आदतन आपराधिक प्रवृत्ति में कोई सुधार नही आया है, अतः आम जन के अमन चैन, क्षेत्र में कानून–व्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना दुभर हो रहा है।

अतः राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा–8 के अंतर्गत आपको यह कारण बताओ सूचना जारी की जाती है कि आपके विरूद्ध उक्त अधिनियम की धारा–5 के अंतर्गत जिला बिलासपुर एवं उसके सीमावर्ती जिले, जांजगीर–चांपा, कोरबा, कोरिया, अंबिकापुर, शहडोल, कवर्धा, दुर्ग तथा रायपुर जिलों की सीमा क्षेत्रों से बाहर क्यों न हटाया जावे? या आपको चले जाने का आदेश पारित क्यों न किया जावे?

आप अपने बचाव में कोई दस्तावेज, उत्तर अथवा साक्षी प्रस्तुत करना चाहते हों तो दिनांक 27 जून 05 को दिन के तीन बजे मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित नही रहने की दशा में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जा सकेगी।

आज दिनांक 04 जून 05 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

सही/–
जिला दण्डाधिकारी
बिलासपुर

सत्य प्रतिलिपि
सही/–
मुख्य प्रतिलिपिक
जिला कार्यालय, बिलासपुर (छ0ग0)"

The petitioner submitted his reply dated 04-07-2005, marked as Annexure P/2 which reads as follows:-

"न्यायालय श्रीमान् जिला दण्डाधिकारी,
बिलासपुर छत्तीसगढ़

प्रकरण क्रमांक–11/2005
पेशी तारीख–04–07–2005

सील

कारण बताओ सूचना क्रमांक/रीडर–जि0द0/2005 बिलासपुर
दिनांक 04 जून 2005 का जवाब

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन का निम्नानुसार जवाब प्रस्तुत है:–

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने मुझ मोहम्मद सिद्धिक आत्मज मोहम्मद ईस्माईल निवासी चुचुहियापारा थाना तोरवा जिला बिलासपुर छ0ग0 के विरूद्ध थाना तोरवा में विभिन्न अपराधिक प्रकरणें दर्ज है का आरोप लगाया गया जो स्पष्ट रूप से अस्वीकार है।

इसी तरह श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने मुझ पर वर्ष 2000 से लगातार चुचुहियापारा तथा बुधवारी बाजार क्षेत्र में जुआ सट्टा में संलिप्त रहकर समाज के लोगों को भी लिप्त रहने के लिए मजबूर करने का आराप स्पष्ट रूप से अस्वीकार है। इसी तरह मेरे विरूद्ध पुलिस द्वारा लगाये गये सभी आपराधिक स्पष्ट रूप से अस्वीकार है। मुझे पुलिस ने झूठा फंसाया है।

1. दिनांक 10.02.2000 मुझें पुलिस ने जुआ खेलते नही पकड़ा ना ही नगद राशि एवं सट्टा पट्टी जप्त की। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं कि मेरे विरूद्ध अप0 क्र0 49/2000 धारा–4(क) जुआ एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया। मुझ पर कोई अर्थदण्ड न्यायालय ने नही लगाया।

2. दिनांक 07.04.2000 को मुझे सट्टा खेलते नही पाया गया। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं कि मेरे विरूद्ध अप0 क्र0 118/2000 धारा–4(क) जुआ एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं रूपये 3204/–नगद राशि एवं सट्टा पट्टी जप्त कर, न्यायालय में पेश किया गया।

3. दिनांक 31.05.2000 को मुझसे सट्टा पट्टी एवं नगद राशि पुलिस द्वारा जप्त नहीं की गई। इस बात से भी इंकार है कि अप0 क्र0 169/2000 धारा–4(क) जुआ एक्ट पंजीबद्ध किया गया एवं न्यायालय ने मुझे दण्डित किया।

4. दिनांक 08.05.2000 को पुलिस ने मेरे कब्जे से रूपये 4005/–नगद राशि, सट्टा पट्टी एवं टेलीफोन जप्त नही किया। मेरे विरूद्ध अप0 क्र0 99/2001 धारा–4(क) जुआ एक्ट पंजीबद्ध किया जानकर न न्यायालय में पेश किया गया एवं अर्थदंड से दंडित किया गया कि कोई जानकारी मुझे नही है।

5. दिनांक 29.04.2004 को मेरे विरूद्ध अप0 क्र0 117/04 धारा–4(क) जुआ एक्ट पंजीबद्ध किये जाने एवं अर्थदण्ड द्वारा न्यायालय ने मुझ दण्डित करने संबंधी कोई भी जानकारी मुझे नहीं है।

6. पुलिस द्वारा दिनांक 07.12.2004 को मेरे विरूद्ध अप0 क्र0 355/2004 धारा–4(क) जुआ एक्ट, असत्य होने से अस्वीकार है। मुझे न्यायालय द्वारा उपरोक्त अपराध में अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना भी अस्वीकार है।

7. यह कि पुलिस द्वारा मेरे विरूद्ध धारा–151, 107, 116 (3) द0प्र0 संहिता पंजीबद्ध किया जाकर एकदम झूठा इस्तगासा कमांक 24/30, 2001 न्यायालय में पेश किया गया।

8. दिनांक 09.03.2001 को पुलिस द्वारा मुझ पर धारा–151, 107 ए, 116(3) जप्त दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत एकदम झूठा इस्तगासा क0 40/30, 2001 न्यायालय में पेश किया गया।

9. मेरे विरूद्ध पुलिस ने एकदम झूठा इस्तगासा क0 11/10 धारा–110 दण्ड प्रक्रिया संहिता न्यायालय में पेश किया है।

10. दिनांक 24.04.2002 पुलिस द्वारा धारा–110 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत झूठा इस्तगासा क0 15/2002 न्यायालय में पेश किया है।

आपके द्वारा दिये गये कारण बताओ सूचना के मेरे विरूद्ध लगाये गये सभी आरोप मनगढंत एवं झूठे होने से अस्वीकार है।

अतः आप द्वारा किसी भी राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा–8 के अंतर्गत विरूद्ध किसी भी तरह की कार्यवाही भारतीय संविधान द्वारा मुझे मूलभूत अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन होगा।

अतः कारण बताओ सूचना क्रमांक रीडर जि0द0/2005 बिलासपुर दिनांक 04.06.2005 निरस्त किया जावें।

तद्नुसार प्रार्थना है।

सही/–
(मोहम्मद सिद्धिक)

दिनांक 04.07.2005

सत्य प्रतिलिपि
सही/–
मुख्य प्रतिलिपिक
जिला कार्यालय, बिलासपुर (छ0ग0)"

As could be seen from the reply of the petitioner, the petitioner has specifically denied his involvement in criminal cases referred to in the show-cause notice. He has asserted that he was not convicted and he did not pay any fine also. In view of the specific stand taken by the petitioner, it was absolutely necessary for the District Magistrate to satisfy himself that the petitioner himself was the accused in those criminal cases; that he

was convicted and he paid fine. When this matter was heard by us on previous occasion, we pointedly asked the learned State counsel to show us the satisfaction recorded by the District Magistrate, Bilaspur that the petitioner is the same person who was an accused in the criminal cases referred to in the show-cause notice; that he was convicted and he paid fine. Learned counsel for the State would tell us today that there is absolutely no record to show such satisfaction being recorded by the District Magistrate. Externing a person from a particular territory is undeniably a serious transgression of the liberty granted to him under Article 21 of the Constitution of India. The donee of such drastic power is required to exercise that power with responsibility and circumspection and recording satisfaction, though it is subjective on objective facts and considerations. In the instant case, there is absolutely no material to show that proper subjective satisfaction has been recorded by the District Magistrate much less to show that such satisfaction is based on relevant materials.

2. In that view of the matter, the District Magistrate, Bilaspur as well as the State Government, which has dismissed the appeal filed by the petitioner against the order of the District Magistrate, by its order dated 20-12-2005, have acted illegally. In the result, we allow the writ petition and quash the impugned orders passed by the District Magistrate, Bilaspur as well as the State Government. No costs.

Sd/-
Chief Justice

Sd/-
Dilip Raosaheb Deshmukh
Judge